भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1518
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/ 21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

बीबीएसएसएल की कार्यप्रणाली

1518. श्री सुनील कुमार सिंह

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) में कितने प्रकार की सदस्यता है;

(ख) बीबीएसएसएल का सदस्य बनने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) बीबीएसएसएल के माध्यम से किसानों और इसके सदस्यों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या बीबीएसएसएल के सदस्यों को लाभांश वितरित करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ख): सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । फसल पैदावार में सुधार और देशज प्राकृतिक बीजों की संरक्षण व संवर्धन हेतु भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत उन्नत बीजों का उत्पादन, प्रापण व वितरण कार्य करेगी । नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में दो प्रकार के सदस्यों का उपबंध है:

(i) **<u>साधारण सदस्य:</u>** भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में साधारण सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे:-

(क) कोई बहुराज्य सहकारी समिति या कोई सहकारी समिति;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC);

(ग) सरकार के स्वामित्व या सरकार द्वारा नियंत्रित कोई अन्य निगम;

(घ) समिति की प्रकृति और कार्यों से संबंधित केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों के संगठन ।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में साधारण सदस्य बनने के लिए कोई एकल व्यक्ति पात्र नहीं होगा ।

साधारण सदस्य सदस्यता के निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार शेयर पूंजी का अभिदान करेंगे:-

(i) **वर्ग- 1:** इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड प्रत्येक द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 5,00,000 शेयर खरीदे जाएंगे;

(ii) **वर्ग- 2:** राज्य स्तर की सहकारी समिति, सिवाए उपखंड (i) में उल्लिखित को छोड़कर, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 1,000 शेयर का अभिदान किया जाएगा;

(iii) **वर्ग- 3:** राष्ट्रीय सहकारी समिति, सिवाए उपखंड (i) में उल्लिखित को छोड़कर, और ऐसी बहुराज्य सहकारी समिति जिसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 500 शेयर का अभिदान किया जाएगा;

(iv) **वर्ग- 4:** कोई सहकारी समिति, सिवाए राज्य स्तरीय या प्राथमिक सहकारी समिति को छोड़कर, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 10 शेयर की खरीद की जाएगी;

(v) **वर्ग- 5**: प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 1 शेयर की खरीद की जाएगी; और

(vi) **Class- 6:** खंड 7(1) (d) के अधीन सदस्य बनने के लिए अनुमत किए गए व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों के संगठन द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 2 शेयर खरीदे जाएंगे ।

शेयर मूल्य का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा और अभिदत्त किए गए शेयरों की पूरी राशि प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(ii) **<u>नाममात्र या सहयोगी सदस्य:</u>** सोसायटी, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के हित में, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुल्क ₹1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) गैर-वापसी योग्य भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति को नाममात्र सदस्य या सहयोगी सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है।

कंपनी अधिनियम/निर्माता कंपनी अधिनियम के तहत बनाई या निगमित कोई भी कंपनी, सरकारी कंपनी को छोड़कर, केवल एसोसिएट या नाममात्र सदस्य बन सकती है।

बीबीएसएसएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक उन्हें 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से विभिन्न वर्गों के तहत सदस्यता के लिए 8,200 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) : बीबीएसएसएल, राष्ट्रीय सहकारी बीज सोसायटी, सहकारी समितियों के सभी स्तर के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज विविधता परीक्षणों में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करने, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में मदद करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

यह सोसायटी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर पैक्स के माध्यम से बीजों की तीनों पीढ़ियों यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से एक केंद्रित तरीके से ध्यान केंद्रित करेगी। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जहां सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों और उच्च उपज वाली किस्मों (HYV) बीज के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन से और सोसायटी द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश द्वारा भी लाभ होगा ।

इसके अलावा, बीबीएसएसएल के उपनियमों का खंड 54 कीमत के निर्धारण का प्रावधान करता है, जिसमें नीचे दी गई योजना के अनुसार शुद्ध अधिशेष का 50% तक वितरित करके सदस्यों को उत्पादों की अंतिम कीमत प्रदान करने की परिकल्पना की गई है : -

i. प्रारंभिक अनंतिम मूल्य उत्पाद(उत्पादों) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से सदस्य(सदस्यों) को दिया जा सकता है;
ii. ऐसे उत्पाद की बिक्री पर सोसायटी द्वारा किए गए सभी खर्चों में कटौती के बाद शुद्ध अधिशेष को बिक्री मूल्य और प्रारंभिक अनंतिम मूल्य के बीच अंतर के रूप में गिना जाएगा;
iii. सोसायटी अपने सदस्यों को उनके उत्पाद के लिए शुद्ध अधिशेष का 50% तक देने का प्रयास करेगी जो की बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और सदस्य ऐसे लाभों को सोर्सिंग किसानों को दे सकता है; और
iv. सदस्य(s) को देय उत्पाद(उत्पादों) की अंतिम कीमत बोर्ड द्वारा प्रारंभिक अनंतिम कीमत और पूर्ववर्ती उप-खंड (iii) के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित शुद्ध अधिशेष के हिस्से के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(घ): बीबीएसएसएल के उपनियमों में इसके सदस्यों को लाभांश के वितरण के प्रावधान शामिल हैं, जो विशेष रूप से खंड 55 और खंड 58 में उल्लिखित हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं: -

i. बोर्ड की सिफ़ारिशों पर सामान्य निकाय, सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी पर 20% तक लाभांश देने के लिए शुद्ध लाभ के शेष को उपयुक्त कर सकती है। हालाँकि, यदि किसी वर्ष में अवितरित शुद्ध लाभ में कमी के कारण, निर्दिष्ट दर पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सका, तो सामान्य निकाय कम दर तय कर सकता है जिस पर सदस्यों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
ii. घोषित लाभांश का भुगतान उस सदस्य को किया जाएगा जिसका नाम सहकारी वर्ष के अंतिम दिन सोसायटी की पुस्तकों में पंजीकृत शेयरधारक के रूप में है, जिससे लाभांश संबंधित है।
iii. घोषित होने के बाद तीन वर्षों तक दावा न किए गए किसी भी लाभांश को बोर्ड द्वारा जब्त किया जा सकता है और सोसायटी के आरक्षित निधि में ले जाया जाएगा।
iv. अवैतनिक लाभांश आवेदन पर देय होगा, बशर्ते उसे जब्त नहीं किया गया हो।
v. लाभांश शेयरों पर भुगतान की गई राशि और पूरे महीने की उस अवधि के अनुपात में होगा जिसके लिए राशि शेयरधारक के खाते में जमा थी।

*****